

(4)

138 मामला

## Order Sheet [Contd]

प्र० क्र०

42 / 14 812 ए० ए०

to of

Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of  
Parties or  
Pleaders where  
necessa

12-11-16

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से  
सहायक-यंत्री/कनिष्ठ यंत्री मामनपुर सहित उनके  
अधिवक्ता श्री ए० ई० श्रीवास्तव उप०।

आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि० श्री सुधीर गुर्जर  
उप०/आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल/मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत  
अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।  
इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम  
का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त  
कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने  
अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर आवेदन किया कि इस  
मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा  
की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत  
विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की  
जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त  
आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी  
विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त  
आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे  
अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जफ़ाशुदा सम्पत्ति नहीं है।

परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ वस्तु क्र० 1

श्री जी० ए० श्रीवास्तव

हस्ता०-

खण्डपीठ वस्तु क्र० 2

श्री विकास कुमार ए०

हस्ता०

डी०सी० थपलियाल

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र०-19

एच विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

गौहट्ट जिला मिक

12/11/16  
A E  
malanpur